तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2830/2003/राजसमन्द जम्बू कुमार बनाम इण्डियन आयल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अति. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 19.02.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला कलक्टर, राजसमन्द ने अपने आदेश दिनांक 28–09–2009 से प्रत्यर्थी संख्या–1 को पेट्रोल पम्प की स्थापना/निर्माण हेतु ग्राम जावद स्थित बिलानाम भूमि में से 3615वर्गगज भूमि 20 वर्ष की लीज पर आवंटित की। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–031–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2830/2003/राजसमन्द जम्बू कुमार बनाम इण्डियन आयल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी के आवंटन हेतु तीन प्रार्थनापत्र विचाराधीन थे, जिसमें जिला कलक्टर द्वारा अपीलार्थी व एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अनिर्णीत छोडते हुए विवादित आराजी का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदनपत्र प्राप्त होने की स्थिति में विवादित आराजी का जरिये नीलामी में आवंटन किया जाना चाहिए था। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1100/901 रकबा 20बीघा 10बिस्वा किस्म बंजड भूमि पर टयूरिज्म यूनिट स्थापना हेतु आवंटित कराने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर किसी प्रकार का विचार किये बिना जिला कलक्टर ने विवादित आराजी जो सडक से लगती हुई है, को प्रत्यर्थी संख्या–1 को एकतरफा में आवंटित कर दी तथा आवंटन से पूर्व विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि केवल मात्र आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से अपीलार्थी का आवंटन का अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता है। उनका कथनहै कि अपीलार्थी ने टूरिज्म यूनिट स्थापना के लिए हेतु प्रार्थनापत्र के साथ कोई प्लान प्रस्तुत नहीं किया। उनका कथन है कि पेट्रोल पम्प हेतु मात्र 01बीघा 17बिस्वा भूमि आवंटन की गयी है, इसी खसरा की ओर भूमि रिक्त पडी है, जिसे अपीलार्थी नियमानुसार आवंटन करवा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2830/2003/राजसमन्द जम्बू कुमार बनाम इण्डियन आयल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सकता है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर ने विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विवादित आराजी का आवंटन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विवादित आराजी पर पट्रोल पम्प स्थापना हेतु जिला कलक्र के समक्ष दिनांक 5–5–2002 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर बाद जांच एवं रिपोर्ट जिला कलक्टर, राजसमन्द ने अपने आदेश दिनांक 28–09–2009 से प्रत्यर्थी संख्या–1 को पेट्रोल पम्प की स्थापना/निर्माण हेतु ग्राम जावद स्थित बिलानाम खसरा नम्बर 1100/901 रकबा 20बीघा 10बिस्वा में से 3615वर्गगज अर्थात् 01बीघा 17बिस्वा भूमि 20 वर्ष की लीज पर आवंटित की। जहां तक अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी के आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है अपीलार्थी ने जिला कलक्टर के समक्ष दिनांक 18–7–2002 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सम्पूर्ण रकबा 20बीघा 10बिस्वा का आवंटन किये जाने की प्रार्थना की गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत दोनों प्रार्थनापत्र एक ही भू–भाग के नहीं होकर अलग अलग उद्धेश्यों के लिए तथा रकबा भी अलग अलग चाहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–1 को केवल मात्र 01बीघा 17बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है तथा इसी खसरा नम्बर की 18बीघा से ज्यादा भूमि आवंटन हेतु शेष बची हुई है, जिसका अपीलार्थी नियमानुसार आवंटन करवा सकता है। जहां तक योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन कि जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2830/2003/राजसमन्द जम्बू कुमार बनाम इण्डियन आयल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कलक्टर ने आवंटन से पूर्व विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की, प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–1 के प्रार्थनापत्र पर जिला कलक्टन ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी। तत्पश्चात् विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए 20 वर्ष की लीज पर विवादित आराजी प्रत्यर्थी संख्या–1 को आवंटित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य